न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस .

प्रकरण संख्या : 29 / 2024 (अपील)

उनवान

बनवारी आत्मज धन्नालाल जाति मीणा निवासी लोढाहेडा तहसील
कनवास जिला कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :— 1. श्री अश्विनी कुमार मालव (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार , रेस्पो0 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 15.02.2024 मि0नं0 90 / 2024
न्यायालय तहसीलदार, कनवास, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 18.10.2024

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशान एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम **लोढाहेडा** तहसील कनवास की खसरा न0 **599 रकबा 0.20 हैक्टर** किस्म **चारागाह** भूमि से बेदखल करने का तथा पश्चातवर्ती अतिकमी होना मानकर भूमि से बेदखल करने का एवं 50 गुना शास्ती आरोपित करने का तथा 30 दिन की सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा साक्ष्य पेश करने का मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है, वह काफी समय पूर्व कब्जा छोड चुका है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय पेरोकार का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध

में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम **लोढाहेडा** तहसील कनवास की खसरा न0 **599 रकबा 0.20 हैक्टर** किस्म **चारागाह** भूमि से बेदखल करने का तथा पश्चातवर्ती अतिकमी होना मानकर भूमि से बेदखल करने का एवं 50 गुना शास्ती आरोपित करने का तथा **30** दिन की सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाण्ट को अपनी जवाब देही करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा साक्ष्य पेश करने का मौका दिये बिना आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पर्व में उसे बेदखल किया गया है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है वह काफी समय पूर्व कब्जा छोड चुका है। रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट्र द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम **लोढाहेडा** स्थित आराजी खसरा नम्बर **599 रकबा** 0.20 हैक्टयर किस्म **चारागाह** पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से क़ब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर ही निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा